

उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला तहसील प्रयागराज

बारा

211750030168578

प्रमाणित किया जाता है वि

आवेदन क्र० प्रमाणपत्र क्र०

454213006825

पुत्र/पुत्री

निवासी

तहसील

माता का नाम

सुभाष चन्द्र

सुषमा देवी

जसरा मरुआ

बारा

प्रयागराज



जारी दिनांक: 06/05/2021

जिला उत्तर प्रदेश राज्य की <u>कुर्मी</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पृष्पेन्द्र सिंह पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-॥।, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यहा विहिप छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं



जारी कर्ता केन्द्र: शेख मोहम्मद जावेद ,आईपीसीएल जन सेवा केंद्र

पदः शेख मोहम्मद जावेद , केन्द्र प्रभारी

स्थान : 5, WARD 5 CHAK RAGHUNATH

NAINI,सदर,इलाहाबाद,प्रयागराज

दिनॉक: 09/05/2021 हस्ताक्षर एंच महर

Ram Digitally Signed by Ram Prasad Tripathi Prasado=Personal, Tripathi

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित बारा,प्रयागराज दिनॉक:06/05/2021

यह प्रमाण पक् इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र॰ फिर प्रमाणपत्र क्र॰ अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।